न्<u>यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिलाभिण्ड</u> <u>मध्यप्रदेश</u> पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 1513/2013 संस्थापित दिनांक 11.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद जिला भिण्ड म०प्र०.

..... अभियोजन

बनाम

 रामजीलाल पुत्र रामचरन शर्मा उम.50 साल निवासी ग्राम बडागर थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

<u>...... अभियुक्त</u>

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 11/7/2013 को घोषित किया)

- 1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,323,324,325 तथा 506 बी—2 के अपराध के आरोप हैंकि दिनांक 10/11/2013 के 9.00 बजे कुआ के पास ग्राम बडागर में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी जितेन्द्र शर्मा को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उपस्थित जनसमूह को क्षोभ कारित किया व आहत रामसुमिनी की लातधूसों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की एवं फरियादी जितेन्द्र शर्मा को दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहित कारित की व फरियादी जितेन्द्र की मारपीट कर अस्थि भंग कारित कर घोर उपहित कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैकि विचारण के दौरान फरियादी व आहत का आरोपी से आपसी राजीनामा हो गया है।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 10/11/13 के 10:10 बजे फरियादी ने पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि वह ग्राम बडागर का रहने वाला है दिनांक 10/11/13 के सुबह 9:00 बजे बात है उसने अपने घर के पास कुँआ के पास सूखी लकडी को काट रहा था उसी समय उसके

चाचा रामजीलाल शर्मा आये ओर उसे मादरचोद बहन चोद की बुरी—बुरी गालियाँ दी मना करने पर रामजीलाल ने एक लाठी दाहिने हाथ की अंगूठे व एक लाठी बाये हाथ की अंगुली मे मारी मूदी चोट आई तभी उसकी माँ रामसुमनी उसे बचाने लगी तो माँ की भी लाठियों से रामजीलाल ने मारपीट की जिसेस माँ के नाक मे चोट होकर खून बहने लगा व दाहिने हाथ की कलाई व पीठ में मूदी चोट आइ तब उसके भाई लोकेन्द्र शर्मा ने बीच बचाव किया फिर रामजीलाल धमकी देते चले गये।

- 4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 215/13 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफतार किया गया एवं फरियादी व आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,323,324,325 तथा 506 बी—2 के आरोपो की विरचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।
- 6. प्रकरण में फरियादी व आहतों द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जाकर आरोपी को भा0द0वि0 की धारा294,323,325 तथा 506 भाग—2 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा324 शमन योग्य न होने के कारण विचारण यथावत जारी रहा है।
- गृकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:—
 1. क्या आरोपी ने फरियादी जितेन्द्र शर्मा को दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. जितेन्द्र शर्मा आ०सा०1 के द्वारा प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है इस साक्षी का कहना हैकि 10/11/13 के सुबह 9:00बजे अपने कुआ के पास लकडी काट रहा था उसी समय उसके चाचा रामजीलाल से थोड़ा बहुत मुहवाद हो गया थाऔर हाथापाई हो गई थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद पर की थी जो प्र0पी01 की है जिसके ए से ए माग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने नक्शा मौका तैयार किया जो प्र0पी02 का है जिसके ए से ए माग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा किसी धारादार अथवा घातक हथियार से चोटपहुचाये जोन का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि उसे आरोपी रामजीलाल ने छुंगली उगली मे दांत से काट लिया था। साक्षी के कथनो से दांत से काटे जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।

- 9. रामसुमिनी आ०सा०२ यह साक्षी घटनाकी चक्षुदर्शी साक्षी है इसका कहना हैकि 7,8माह पहले आरोपी रामजीलाल व जितेन्द्र से झगडा हो गया था जिसमें उसने बीच बचाव किया था शेष घटनाकम से साक्षी ने अनिमज्ञता जाहिर किये जाने पर साक्षी को अभियोजन द्वारापक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने दांत से काटकर उपहित किये जाने की घटना का समर्थन नहीं किया है साक्षी के कथनों से अभियोजन घटनाकम का समर्थन नहीं होता है।
- 10. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता हैकि फरियादी/आहत ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है जिससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता हैकि आरोपीगण ने फरियादी को दांतो से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की हो।
- 11. अभियोजन मामले के अनुसार मेडीकल रिपोर्ट का अवलोकन करे तो इससे दर्शित होता हैकि आहत जितेन्द्रशर्मा को दांत से काटकर से चोट पहुचाकर उपहित कारित की है लेकिन फरियादी / आहत ने न्यायालीन अभिलेख पर दिये कथनों में इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपी ने उसे दांतो से काटकर से चोट पहुचाई हो ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 324 के अपराध का समर्थन नहीं होता है।
- 12. प्रकरण में आरोपी के आरोपित आरोप भा.द.वि.की घारा324 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों मे आपसी राजीनाम किया जा चुकाहै अतः आरोपी को भा.द.वि.की घारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाताहै उसके जमानत मुचलके भारहीन होने से उनमोचित किये जाते है।
 - 13. प्रकरण मे निराकरण हेतु मुददेमाल नही है।
- 14. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
- 15. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप०रहे इस संबंध में धारा 437ए द०प्र०स० के तहत 10 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव दिनांकित कर घोषित किया गया <u>हस्ता / सही</u> जे०एम०एफ०सी०गोहद

मेरे निर्देश पर टाईप किया
<u>हस्ता / सही</u>
जे0एम0एफ0सी0गोहद

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 1513/2013